राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं राज.जयपुर।

क्रमांकःई–33 / पै.मे.संव. / ई.एफ–36680 / 2026 / 109 दिनांक : 17/03/2026

–: आदेश :–

श्री मोहम्मद सादिक, लैब टैक्नीशियन, सीएचसी नोखड़ा बाड़मेर द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 103/2026 मोहम्मद सादिक बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2026 की पालना में सीएचसी नोखड़ा बाड़मेर से पन्नाधाय चिकित्सालय उदयपुर के लिए कार्यमुक्त किये जाने हेतु निवेदन किया है।

याचिकाकर्ता का निदेशालय के आदेश क्रमांक 29 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा सीएचसी नोखड़ा बाड़मेर से पन्नाधाय चिकित्सालय उदयपुर में पदस्थापन/स्थानान्तरण प्रशासनिक कारण एवं लोकहित में किया गया, किन्तु कार्मिक को परिवीक्षा अवधि (Probation Period) में होने के कारण कार्यमुक्त नही किया गया।

याचिकाकर्ता द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 103/2026 मोहम्मद सादिक बनाम सरकार व अन्य दायर की, जिसमें दिनांक 15.01.2026 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:–

"6– परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश 15.01.2025 द्वारा अधिरोपित शर्त है कि परीविक्षाकाल में कार्यमुक्त नहीं किया जावे को अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को स्थानांतरण आदेश की पालना में नवीन पदस्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त किया जावे।"

अतः माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 103/2026 में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2026 के समान प्रकृति के प्रकरण अपील संख्या 2122/2025 ममता गाडरी बनाम राज्य प्रकरण में पारित निर्णय 07.03.2025 के विरूद्व स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.05.2025 से नो–अपील का निर्णय लिया जाने के कारण अपील संख्या 103/2026 मोहम्मद सादिक बनाम सरकार व अन्य प्रकरण में माननीय अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.01.2026 के विरूद्व प्रशासनिक विभाग द्वारा नो–अपील का निर्णय लिये जाने के मद्देनजर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को एतद् द्वारा स्वीकार किया जाकर निदेशालय के आदेश क्रमांक 29 दिनांक 15.01.2025 के परिप्रेक्ष्य में श्री मोहम्मद सादिक, लैब टैक्नीशियन, सीएचसी नोखड़ा बाड़मेर को नवीन पदस्थापन स्थान पन्नाधाय चिकित्सालय उदयपुर में कार्यग्रहण करने की अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःई–33 / पै.मे.संव. / ई.एफ–36680 / 2026 / 109 दिनांक : 17/03/2026

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उप विधि परामर्शी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर/उदयपुर।
3. पन्नाधाय चिकित्सालय, उदयपुर।
4. संस्थापन अधिकारी, टीसी अनुभाग, मुख्यालय।
5. प्रभारी सर्वर रुम मुख्यालय को अपलोड वास्ते। वेबसाइट पर अपलोड
6. श्री मोहम्मद सादिक, लैब टैक्नीशियन, द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :13-03-2026 02:42:08

RajKaj Ref No.: 20831252
eSign DSC